बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

संख्या–11/आ०2–1094/2024– 1903 पटना, दिनांक:- 04/9/25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत संचालित ''हर घर नल का जल'' योजनाओं के क्रियाशीलता की जाँच जिला प्रशासन के स्तर से दिनांक–20.11.2024 एवं दिनांक–21.11.2024 को करायी गयी। जाँचोंपरान्त विभागीय पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 3470 अदद योजनाओं की जाँच में बोरिंग फेल, मोटर जलने, पाईप में रिसाव, पाईपलाईन मिस लिकिंग, स्टेजिंग में त्रुटि, बारम्बार विद्युत समस्याएं एवं स्टार्टर जलने आदि कारणों से 1531 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी। प्रमंडल स्तर से CGRC Portal पर कुल 79 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 15 अदद शिकायतकर्त्ताओं का ही Feedback संतोषप्रद पाया गया, जबकि कुल 21 अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया।

02. योजनाओं के बंद रहने एवं विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने तथा CGRC Portal पर गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड किये जाने से यह स्पष्ट है कि श्री आकाश सहनी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान सम्प्रति अधीक्षण अभियंता का तकनीकी सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा द्वारा योजनाओं का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं किया गया। साथ ही उनके स्तर से संवेदकों के विरूद्ध भी योजना बंद रहने एवं मानक के अनुरूप योजनाओं के क्रियाशील नहीं रहने के बावजूद एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारियों/विभाग को नहीं की गयी।

03. उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1796, दिनांक–13.12.24 द्वारा श्री सहनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु श्री सहनी के स्तर से स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता बरती गयी है। साथ ही उनका उपर्युक्त कृत्य विभागीय निदेशों की अवहेना का भी द्योतक है। फलतः श्री आकाश सहनी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

04. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री आकाश सहनी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा के विरूद्ध बिहार

सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(I) एवं (V) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- ***'निन्दन', जो उनके वर्ष 2024-25 के वार्षिक गोपनीय चारित्री में दर्ज की जायेगी।***
- ***एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।***

05. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०2-1094/2024- 1903 पटना, दिनांक- 04/9/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०2-1094/2024- 1903 पटना, दिनांक- 04/9/25

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०2-1094/2024- 1903 पटना, दिनांक- 04/9/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/श्री आकाश सहनी, अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

प्रेषित
04-9-25